न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/14/2021

राजेन्द्र गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत न्यौठा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 07.04.2021 प्रकरण संख्या 33/2020 सरकार बनाम राजेन्द्र अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 23.11.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07.04.2021 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 को खिलाफ कानून मौका रिकार्ड के विपरीत है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के विरूद्व आरोप संख्या 1 के जबाब में अवगत कराया है कि वेदप्रकाश पाठक का नाम खाद्य सुरक्षा में होने पर इनके द्वारा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

राशन सामग्री प्राप्त की गई है। सरकारी कर्मचारी होने पर रिकवरी से बचने के लिए यह झूठी शिकायत अपीलान्ट के विरूद्व की है जबकि राशन सामग्री उक्त कार्मिक द्वारा प्राप्त की गई है। तहत न्यायालय द्वारा इस जवाब पर बिना गौर किये ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा समस्त कागजात निरीक्षण के दौरान जांच अधिकारी को उपलब्ध करा दिये गये थे जो आरोप गलत है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार से गेहूं व चीनी का गबन नही किया है क्योकि प्राधिकार पत्र निलम्बित होने पर अपीलान्ट द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर को पोस मशीन में दर्ज राशन सामग्री का पूरा स्टांक दे दिया था वक्त जांच उक्त राशन स्टांक दुकान पर उपलब्ध था लेकिन जांच अधिकारी ने सही तरीके से स्टांक की जांच नही कर फर्द में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। अपीलान्ट द्वारा कोई राशन वितरण में कोई अनियमितता नही की है। कैरोसीन वितरण बाबत शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा भी सही माना है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि सरकारी कर्मचारी वेदप्रकाश पाठक पुत्र रामखिलाडी ग्राम न्यौठा के राशनकार्ड संख्या 007448600635 पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाये जाने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा दिये गये नोटिस के जबाब में कार्मिक ने अवगत कराया कि गेहूं नही उठाया गया है और राशनकार्ड में भी गेहूं के उठाव का इन्द्राज नही है। राशन डीलर द्वारा गेहूं का विवतरण राशन कार्डधारी को नही कर उसका दुरूपयोग किया गया है। वक्त जांच राशन दुकान में पोस मशीन के अनुसार 1956 किग्रा के गेहूं के स्थान पर 1751 किग्रा भौतिक सत्यापन में पाया गया है जो 205 किग्रा कम पाया गया है। डीलर द्वारा अपने जबाब में सरकारी कर्मचारी द्वारा गेहूं लेना परन्तु राशनकार्ड में इन्द्राज नही करवाना बताया गया है। जांच में चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत न करने के आरोप में डीलर द्वारा मौके पर दस्तावेज दिखाना बताया है तथा गेहूं की कमी बाबत वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर को पूरा स्टांक सांगलवा देना व चीनी व कैरोसीन का पोस मशीन में गलती से अधिक अपडेट होना अवगत कराया है जो कि जांच में चीनी व कैरोसीन के स्टांक बाबत आरोप का निस्तारण हो जाता है। फर्द जांच रिपोर्ट में राशनडीलर के हस्ताक्षर किये हुये है। किसी उपभोक्ता को राशन सामग्री देते समय राशनकार्ड में इन्द्राज नही करना डीलर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अन्त में पैरोकार रसद ने अपीलाधीन आदेश नियमानुसार पारित किया गया है जो कि उचित है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्यतः सरकारी कर्मचारी के राशन कार्ड पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त किये

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

जाने व राशनकार्ड में उक्त वितरण का इन्द्राज नही होना तथा पोस मशीन में उठाव होने अंकित है। इस सबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात व निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार जांच के दौरान मौके पर डीलर की दुकान में गेहूं की मात्रा 205 किग्रा कम मिलना व डीलर द्वारा उक्त गेहूं को निलम्बन के बाद सम्पूर्ण स्टांक अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर को स्टांक संभलाया जाना बताया है जिसकी सबंधित वैकल्पिक राशन डीलर की प्राप्ति रसीद संलग्न पत्रावली है। डीलर द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि शिकायतकर्त्ता वेदप्रकाश व उसका पिता दोनों सरकारी कर्मचारी है व उनके द्वारा राशन लिया गया है। पोस मशीन में शिकायतकर्ता की मां विरमा के अंगूठा निशानी से गेहूं प्राप्त किया गया है। शिकायत कर्त्ता द्वारा उक्त शिकायत गेहूं के दुरूपयोग व उसके भुगतान करने से बचने के कारण की गई है। शिकायतकर्त्ता द्वारा आनंलाइन ट्रांन्जेक्शन पोस मशीन के अनुसार तो गेहूं का उठाव किया जाना पाया गया है किन्तु राशन कार्ड में गेहूं उठाव का इन्द्राज नहीं होना इस तथ्य की विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है। इस बाबत स्पष्टतः उल्लेख जांच अधिकारी की रिपोर्ट या अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। सरकारी कार्मिक द्वारा गेहूं का उठाव किया गया है या नही की जांच मौके पर जांच एवं साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही की जा सकती है। अतः हमारे न्यायिक मत में प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः आदेश पारित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पुनः नियमानुसार जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 23.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर